विषयः—दिनांक **01.03.2025** से **31.03.2025** के दौरान रे.सु.ब. बीकानेर द्वारा किए गए सराहनीय कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण।

संदर्भः—प्र.का.पत्रांक—उ.प.रे. / अप—उपलब्धि / रेसुब / 48 / 12 दिनांक 24.07.2012

————————————

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित की अनुपालना में लेख है कि बीकानेर मण्डल से चाही गयी सूचना दिये गये प्रारूप पर तैयार कर भेजी जा रही हैः—

1. यात्री मित्र बुथ द्वारा यात्रियों को सहायताः—

क.स.	सुविधाओं का विवरण	
1	यात्रियों को रेसुब सहायता बूथ से सूचना प्रदान की गयी	45
2	यात्रियों को व्हील चेयर की सुविधा प्रदान की गयी	01
3	यात्रियों को चिकित्सा सुविधा दिलवायी गयी	01
4	लावारिश बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गो को एनजीओ / परिजनों को सुपुर्द किये गये।	11Children+01women +02 Men =14

2. खोये पाये बच्चे / महिलाओं / व्यक्तियों का विवरणः—

क. सं.	लावारिस पाये गये व्यक्तियों के नाम पते व विवरण	फोटोग्राफ
1.	दिनांक 03.03.2025 को हैड कांस्टेबल ब्रहमप्रकाश डयूटी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन लोहारू पर परेशान हालत में घूमता हुआ नजर आया पास जाकर बातचीत करने पर दिमागी हालत सही नही लग रही थी जिसने स्वंय का नाम वेदपाल होना बताया एव लोहारू जाना बताया बाद उक्त व्यक्ति से बैच पर बैठाकर चाय नास्ता करवाते हुए परेम से घर का पता पुछने पर किसी प्रकार का कोई घर का पता नही बताया बाद उसके पास से एक छोटा नीले रंग का की—पैड फोन दिखाया जिसमें से एक नंबर 9810798727 मिला जो अनिल नाम से सेव था पर कॉल करके उन्हें उक्त घटना के बारे में बताया तो उन्होंने खुद को वेदपाल का पुत्र होना बताया और वेदपाल की दिमागी हालत ठीक नहीं होना बताया और एव स्वंय दिल्ली में होना बताया और स्वंय का पिता सुबह से लापता होना बताया और वेदपाल ने भी अनिल को अपना पुत्र होना बताया। अनिल ने अपने लोहारू के नजदीक रहने वाले परिजनों को वेदपाल को लेने को भेजने के लिए बताया और कहा कि आप उन्हें अपने पास ही बैठा कर रखे। बाद उनके कुछ परिजन व मित्र आरपीएफ चौकी आए और अपना परिचय व पहचान पत्र दिया। जिसमें वेदपाल पुत्र श्री नान्हड राम उम्र 82 वर्ष निवासी डी—158 ककरौला, पटेल गार्डन, एन.एस.आई.टी द्वारका एस.ओ. साउथ वेस्ट दिल्ली होना पाया गया बाद वेदपाल ने उन्हें अपने भतीजे कैलाश और पोते नवीन कुमार के रूप में पहचाना और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। इस पर पहचान और पता तस्दीक कर वेदपाल जी को सही हालत में सेहतसुदा आज दिनांक 04.03.2025 को उनके भतीजे कैलाश और पोते नवीन को सुपुर्द कर रहे है।	1 Men SDLP Parrents Mantly disorder
2.	दिनांक 06.03.2025 को उनि अमरीक सिंह मय स्टाफ बीकानेर स्टेशन पर गस्त पर थे दौराने गस्त सवारी गाडीं संख्या 22737 जो प्लेटफार्म न. 01 पर मेडता रोड़ साईड से आई दौराने गस्त एक अज्ञात यात्री ने 01 लावारिस बच्चे को उनि के समक्ष पेश किया जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ था जिसकी उम्र— लगभग 07—08 वर्ष की है उक्त बच्चे ने स्कूल की जाकेट पहन रखी है जिस पर अंग्रेजी भाषा में पीछे की तरफ SUN FLOWER PRE SCHOOL DELHI लिखा है। बाद उक्त बच्चे को उप निरीक्षक ने अच्छे वातावरण मे ले जाकर चाय नाश्ता करवाया। उनि ने उक्त सूचना 1098 चाईल्ड हैल्प लाईन को सूचित किया तथा बच्चे को स्वस्थ हालत में उपरोक्त रूबरू गवाहन CHD/BKN सुपरवाइजर निलेश सुथार व प्रवीण चौहान को अग्रिम कार्यवाही कर सही हालत में दिनांक 06.03.2025 को CHD रेलवे स्टेशन बीकानेर को सुपुर्द किया गया	01 boy NGO

3.	दिनांक 09.03.2025 को ड्यूटी पर तैनात है.कॉ. जगतपाल को रेलवे स्टेशन हिसार के प्लेटफॉर्म न0 01 पर एक नाबालिग बच्चा लावारिश हालत मे असहाय घूमता हुआ मिला, जिसे आर.पी.एफ. थाना हिसार लेकर आने पर उप निरी0 सोनिया देवी द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपना नाम अमन पुत्र जीतलाल उम्र–11 वर्ष बताया और अपने घर का पता सही नहीं बता पाया। बाद उप निरी0 ने उक्त बच्चे को चाय नाश्ता करवाया तथा सिविल हॉस्पीटल, हिसार में चिकित्सा परीक्षण करवाकर बाल कल्याण समिति हिसार के समक्ष पेश किया। दिनांक 09. 03.2025 की घटना के लगातार में अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 09.03.2025 को रेलवे स्टेशन हिसार के प्लेटफॉर्म पर मिले लावारिस लड़का को बाल कल्याण समिति, हिसार के समक्ष पेश करने पर बच्चों के बयानों से मामला बाल मजदूरी का होना पाया जाने पर श्रीमान् जी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने तथा उक्त बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. कैथल को हैण्डओवर करने बाबत निर्देशित किया जाने पर दिनांक 10.03.2025 को उक्त बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. कैथल को हैण्डओवर किया गया तथा उक्त बच्चे के द्वारा गंगवा गॉव के बाईपास पर बने ग्रीन विच होटल पर बाल मजदूरी का मामला पाया जाने पर सम्बन्धित पुलिस थाना आजाद नगर, हिसार पर एफआईआर नं. 0195/2025 अंतर्गत धारा 14 बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 तथा 127(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 दिनांक 10.03.2025 दर्ज कर जॉच उ.नि. सुरेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है।	01 boy HSR NGO
4.	दिनांक 10.03.2025 को डयूटी स्टाफ हैड कॉस्टेबल चरणजीत सिहं ने जरिये फोन से बताया कि स्क्रूलेटिग एरिया प्रवेश द्वार के पास एक लडकी सहमी अवस्था में बैठी हुई है जिस पर उनि रीना ने स्क्रूलेटिग एरिया प्रवेश द्वार पर पहुॅचकर सहमी हुई लडकी को शांत वातावरण में लाकर पुछताछ किया तो उसने अपना नाम धामेचा शार्मिला पुत्री श्री लाभूभाई उम्र 15 वर्ष निवासी मोरबी मेइेन्द्रनगर गुजरात बताया और घर से भाग कर आना बताया व अहमदाबाद वाली गाडी से बीकानेर आना बताया । जिस पर चाइल्ड हैल्प लाइन नंबर 1098 को उक्त बाबत सूचित किया जिस पर रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर श्रीमती दूर्गा राठौड रेलवे सीएचडी सुपर वाईजर आये। जिनके आने पर सभी के समक्ष बच्ची से दोबारा पूछताछ करने पर बच्ची ने अपना नाम धामेचा शार्मिला पुत्री श्री लाभूभाई पता उपरोक्त बताया उक्त बालिका को उनि रीना द्वारा स्वस्थ हालत में 1098 प्रतिनिधि श्रीमती दूर्गा राठौड रेलवे सीएचडी सुपर वाईजर 9024542372 को जरिये सुपुर्दगीनामा सुपुर्द कर पावती ली।	01 boy LGH NGO
5.	दिनांक 12.03.2025 को उप निरीक्षक मंगल सिंह को रेलवे स्टेशन लालगढ पर गस्त के दौरान एफ.ओ.बी. के उपर एक लडका सहमी अवस्था में बैठा हुआ मिला। जिससे पुछताछ किया तो उसने अपना नाम भजनलाल पुत्र श्री मदनलाल उम्र 11 वर्ष निवासी डेलवा बस्ती, लुनकरनसर जिला बीकानेर राजस्थान बताया और घर से बिना बताये भाग कर आना बताया। जिसकी सूचना चाइल्ड हैल्प लाइन नंबर 1098 व ऑन डयुटी स्टेशन मास्टर को दी। जिस पर रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर सीएचडी केस सुपुरवाईजर भवानी शंकर आये। जिनके आने पर सभी के समक्ष बच्चे से दोबारा पूछताछ करने पर उपरोक्त नाम पता बताया उक्त लडके को उनि मंगल सिंह ने रूबरू गवाहान के समक्ष स्वस्थ हालत में ''आपरेशन नन्हे फरिश्ते'' के तहत सीएचडी केस सुपुरवाईजर भवानी शंकर को जरिये सुपुर्दगीनामा सुपुर्द कर पावती ली।	1 BOY NGO LGH

6.	दिनांक 15.03.2025 को सवारी गाडी संख्या 12323 हावडा बाडमेर एक्सप्रेस के स्टेशन रतनगढ आगमन पर एक व्यक्ति चौकी आकर जो अपना नाम अशोक कुमार दिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल बैल्ट नम्बर 52300 तथा मोबाईल नम्बर 9571965897 था ने एक गुंगा बहरे व्यक्ति को उक्त गाडी में लावारिश मिलने पर चौकी रतनगढ को सुपुर्द किया। उप निरीक्षक रतनगढ द्वारा उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर जो बोलने व सुनने (गुंगा बहरा) मे असमर्थ था जिसकी जेब में आधार कार्ड मिला जिसमें उक्त व्यक्ति का नाम नलूगिंडला शिवा पुत्र श्री नलगू इंडिया उम्र 23 वर्ष , निवासी मकान नम्बर 4–18, चिना पिनथा कुंडा, पुलिस स्टेशन फरीदपुर जिला महबूब नगर आंध्रप्रदेश अंकित था। उक्त के बारे में वेलनेसविंग्स फाउन्डेशन मानव सेवा अनाथ व वृद्व आश्रम रतनगढ जिला चुरू मोबाईल नम्बर 9929267117 सूचना देने पर जहॉ से अरमान बाबर अनाथ आश्रम व्यवस्थापक चौकी रतनगढ आये जिसे दिनांक 16.03.2025 को सकुशल सुपुर्द कर पावती ली गई।	01 व्यक्ति बीकानेर अनाथ आश्रम
7.	दिनांक 16.03.2025 को उप निरीक्षक सोनिया देवी को प्लेटफॉर्म ड्यूटी स्टॉफ कॉस्टेबल विनेशपाल ने सूचना दी कि प्लेटफॉर्म नं. 01 पर एक महिला गुमशुम हालत में बैठी है और मंदबुद्वि प्रतीत हो रही है। जिस पर उप निरीक्षक ने भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम, आजाद नगर, हिसार को जरिये फोन सूचना देकर मौके पर बुलाया। जिस पर भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम, आजाद नगर, हिसार की अध्यक्ष सुश्री बाला वर्मा मय टीम मौके पर आई। जिनके द्वारा मंदबुद्वि महिला से बातचीत की, लेकिन उसने अपना नाम गौरी होना बताया। जिसकी अनुमानित उम्र लगभग 45 वर्ष है। बाद उ.नि. ने उक्त मंदबुद्वि महिला को भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम, आजाद नगर, हिसार मोबाईल नं. 8570086186 की टीम को रुबरु गवाहान की मौजूदगी में सही–सही हालत में सुपुर्द किया।	01 women HSR NGO
8.	दिनांक 21.03.2025 को सवारी गाडी स0 14892 हिसार जोधपुर पैसेन्जर के चूरू रेलवे स्टेशन आने के बाद एक व्यक्ति रेसुब चौकी चूरू कार्यालय आया अपना नाम विनोद पुत्र श्री दारा सिंह गॉव डोकवा राजगढ चूरू मो0न0–9983102497 होना बताया कि उक्त गाडी में चूरू आ रहा था गाडी के साधारण कोच में तीन बच्ची गुमसुम हालात में बैठी थी पुछने पर बताया कि हम चार लड़किया हिसार से उक्त गाडी में आई थी और एक बच्ची हमारे साथ वाली डोकवा स्टेशन पर रह गई उक्त व्यक्ति द्वारा अपने मित्र से फोन पर बातचीत कर डोकवा मे रही हुई बच्ची को बस द्वारा डोकवा से चूरू भिजवाया चारों बच्चियों का रेसुब चौकी चूरू हैड कास्टे0 महेन्द्र सिंह को सुपूर्द किया। उनि0 चौकी पर आकर चारो बच्चियों को चाय नाश्ता करवाकर नाम व पता पुछने पर क्रमशः 1.खुशबु पुत्री श्री अनिल कुमार उम्र–13 निवासी गॉव किरताण बालसमन्द जिला हिसार हरि0 मोबाईल नम्बर 999154804402 एव कक्षा 08वी में कस्तुरबा गांधी बालिका विधालय हिसार ब्लाक नम्बर 02 में पढना बताया। 2.हर्षिता पुत्री श्री अजीत सिंह उम्र–13 वर्ष निवासी कप्तान स्कूल के पास गली नम्बर 03 हिसार हरि0 मोबाईल नम्बर 8708506625 कक्षा 07वी में पढना बताया। 3.आरजू पुत्री श्री कुलदीप उम्र–13 वर्ष निवासी सदलपुर आदमपुर हिसार हरि0 मोबाईल नम्बर 8708572420 कक्षा 08 वी में पढना बताया। 4. मनु पुत्री श्री मंजीत उम्र–12 वर्ष निवासी गॉव दायमा हिसार मोबाईल नम्बर 9053639045 कक्षा 08वी में पढना बताया। जिन चारो के पास हिसार से चूरू तक का रेल यात्रा टिकट था एव स्वय के कपडे किताबे एव बैग आदि था जिनको पुछने पर बताया कि आज रात समय 02.00 हॉस्टल से निकल कर उक्त गाडी से चूरू होकर जयपुर जाना बताया संदेह होने पर घर वालो के मोबाईल न0–9991548044 से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया की हमने बालसंमन्द पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है पुलिस थाना बालसंमन्द के थाना अधिकारी श्री शेष करण से जरिये फोन से सम्पर्क कर समन्वय किया गया तो बताया कि गुमशुदगी दर्ज कि नही है अभी तक एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है बाद रूबरून गवाहन के	04 बालिका सादुलपुर NGO

	समक्ष को चारो बच्चियो को चाईल्ड हैल्प लाईन चुरू को उक्त बच्चियो के बारे सूचना दी गई है कुछ समय बाद चाईल्ड हैल्प लाईन चुरू से श्री रूपेन्द्र सिंह व श्रीमति कल्पना आये जिनको चारो बच्चियो को रूबरून गवाहन के समक्ष सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की है।	
9.	दिनांक 26.03.2025 को मसुनि कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि सवारी गाडी संख्या 14703 के ट्रैन मैनेजर एक 4–5 साल के बच्चे को लेकर आ रहे है, बच्चा उक्त गाडी में लावारिस हालात में पाया गया। सूचना पर उनि मंगल सिंह ने स्टॉफ के साथ गाडी को अटैण्ड किया गया तो गाडी के ट्रैन मैनेजर ने एक मेमों के साथ एक बच्चे को सुपुर्द किया गया। जिसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन मलार से गाडी रवाना होने पर लोकोपायलेट ने बताया कि एक छोटा बच्चा घरवालों से बिछुड़ कर ईंजन के पास वाले डिब्बें में चढ गया है। जिस पर बच्चे को उसके द्वारा ब्रेकवान में बैठाया गया और रेलवे स्टेशन लालगढ़ पर लाकर रेसुब को सुपुर्द किया गया है। जिस पर उनि द्वारा बच्चे से खूले व भयमुक्त वातावरण में पूछताछ करने पर बच्चे की उम्र कम होने की वजह से कुछ भी बताने में असमर्थ पाया गया। बच्चे की उम्र लगभग 4–5 वर्ष पाई गई। जिसकी सूचना चाईल्ड हैल्प लाइन नंबर 1098 व ऑन डयुटी स्टेशन मास्टर को दी। सूचना पर चाईल्ड हैल्प लाइन के प्रतिनिधि श्री विशाल सैनी व श्रीमती बबिता व्यास रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर उपस्थित हुये। ''आपरेशन नन्हे फरिश्ते'' के तहत सीएचडी केस सुपुरवाईजर श्री विशाल सैनी व श्रीमती बबिता व्यास को जरिये सुपुर्दगीनामा सुपुर्द कर पावती ली ।	 01 BOY LGH NGO
10.	दिनांक 26.03.2025 को प्लेटफार्म डयुटी पर तैनात हैड कानि0 बुधराम को गाडी संख्या 14030 रेवाडी पैसेंजर की चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म नम्बर 01 पर एसएस कार्यालय के सामने की बैंच पर एक बच्चा व एक बच्ची गुमसुम हालत में बेठे दिखाई दिये। जिनसे विश्वास में लेकर प्यार से पूछताछ करने पर बच्चे ने अपना नाम दीपक पुत्र श्री भीम सिंह उम्र 13 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 20 रविदास नगर मलोट जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब) बताया तथा बताया कि मै गिदड़बाह अपनी नानाजी के घर गया हुआ था, वंहा से वापस अपने घर मलोट रेलगाडी में बैठकर वापस अपने घर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन मलोट पर मै उतरा नही और घूमने का सोचकर आगे गाडी में ही बैठा रहा। गाडी रेलवे स्टेशन अबोहर रूकी, तो एक बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई मैने देखा कि यह तो मोहिनी है, जिसको में पहले से जानता था। मै इसके स्कूल में पेपर देने के लिए जाता था। यह हमारे घर से थोडी दुर पर दुसरी गली में रहती है। मैने इससे पुछा तो इसने बताया कि मेरे मम्मी पापा मेरे को मारते है। इसलिए घर से भागकर जाकर रही हूं। इतने में ही रेलवे स्टेषन आ गया हमने नीचे उतरकर देखा तो रेलवे स्टेशन श्रीगगानगर था। हम चुपचाप एक बेंच पर बेठ गये। बच्ची से पूछने पर अपना नाम मोहिनी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार उम्र 13 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 20 रविदास नगर मलोट जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब) बताया तथा मम्मी–पापा के मारने व डांटने की वजह से घर से भाग आना बताया। उपरोक्त दोनो बच्चो को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय श्रीगंगानगर में साफ–सुथरे माहोल में रखा। उक्त दोनों बच्चों को हैड का. गजानंद रेसुब व महिला कांस्टे. तमन्ना जीआरपी श्रीगंगानगर ने अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् अध्यक्ष,बाल कल्याण समिति कुंज विहार, श्रीगंगानगर सुपूर्द किया गया। जिन्होने बच्चो के परिजनो के श्रीगंगानगर आने पर दोनो बच्चो को परिजनों को सुपुर्द कर दिये गये है।	 01 BOY + 01 GIRL SGNR NGO

3. सराहनीय कार्यः–

1. दिनांक 01.03.2025 को डयूटी पर तैनात कांस्टेबल लीलाधर को दौरान गस्त पीएफ 01 श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर गाडी संख्या 22981 के आगमन पर एक सफाई कर्मी के बताये अनुसार कोच संख्या एम–1 में एक काले रंग का की–पैड मोबाईल लावारिस हालत मे मिला। आसपास पूछने पर किसी ने भी अपना होना नहीं बताया। थोडी देर बाद उक्त मोबाईल पर एक कॉल आई, बात करने पर बोलने वाले व्यक्ति ने अपना नाम रणधीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह,

उम्र 32 वर्ष निवासी पोस्ट ऑफिस घरोह तह0 धर्मशाला, घरोह खास घरोह कौगड हिमाचल प्रदेश बताया और बताया कि मै जयपुर से लूणकरणसर की यात्रा कर रहा था और लूणकरणसर में उतर गया और अपना मोबाइल सीट पर भूल गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वह अपने दोस्त सुलखन सिंह जो श्रीगंगानगर में ही रहते हैं को भेज रहे हैं जिन्हें मोबाईल सुपुर्द्र कर देवें। है0कां0 नत्थूराम हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति सुलखन सिंह पुत्र श्री मुखतयार सिंह रेसुब पोस्ट पर आया व बताया कि वह अपना मोबाईल लेने आया है। पूर्ण तस्दीक कर मोबाईल सूपूर्द्ध कर पावती ली गई। उक्त व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल की कीमत 2000/– रू बताई।

2.
दिनांक 02.02.2025 को रेलवे स्टेशन बीकानेर प्लेटफार्म नम्बर 04 से 06 बीट मे तैनात ऑन ड्यूटी हैड कांस्टेबल मुकेश कुमार को प्लेटफार्म नम्बर 06 पर खड़े गाडी संख्या 12457 दिल्ली–बीकानेर के खाली रेक की चैकिंग के दौराने गाडी के कोच संख्या एस–6 के सीट नम्बर 55 पर एक Apple कम्पनी आईपेड समय 08.30 बजे मिला जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर लेकर आया। उक्त के सम्बन्ध में पोस्ट बीकानेर को मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से रेल मदद होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 03.03.2025 को उक्त आईपेड लेने के सम्बन्ध में पोस्ट पर हाजिर उप निरीक्षक जगवीर सिह के समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित हुआ तथा उक्त आईपेड गाडी में छूटने के सम्बन्ध में रेल मदद करने के बार मे बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज कुमार पुत्र श्री किशन लाल उम्र–22वर्ष जाति–सिंधी, निवासी–वार्ड नम्बर 16 पुरानी गौशाला के पास श्रीबिजय नगर, जिला–श्रीगंगानगर राजस्थान मोबाईल नम्बर 7427005156 बताया। दिनांक 02.03.2025 को उक्त गाडी से दिल्ली से यात्रा कर बीकानेर तक टिकिट पीएनआर नम्बर 2659133211 आना बताया तथा गाडी से उतरते समय जल्दबाजी मे अपना आईपेड को सीट पर भूलना बताया जिसकी उसके द्वारा 139 पर रेल मदद करने बारे मे बताया। तस्दीक कर रूबरू गवाहन Apple कम्पनी आईपेड को सही हालत मे चैक करवा कर समय 11.50 बजे सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। बरामद सामान की कुल कीमत 115000/– रूपये बताई गई।

3.
दिनांक 05.02.2025 को रेलवे स्टेशन बीकानेर पर सरकुलेटिंग एरिया बीट मे तैनात ऑन ड्यूटी कांस्टेबल राजेन्द्र कुमार को सी/एरिया मे एक मोबाईल रेडमी ए–2 कम्पनी एटीएम के बाहर लावरिस हालत मे मिला। जिसके बारे आसपास पता किया लेकिन किसी ने अपना नही होना बताया। जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर लेकर आया। कुछ समय बाद उक्त फोन पर एक कॉल आया तथा बताया कि यह फोन उसका है जिसको एटीएम पर छोड दिया था। जिसे रेसुब पोस्ट पर आकर मोबाईल लेकर जाने बारे बताया गया। समय करीबन 08.45 बजे एक व्यक्ति सउनि सतीश कुमार हाजिर थाना के समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित हुआ तथा उक्त मोबा0 एटीएम पर छूटने बारे मे बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री आशु सिंह उम्र–48 वर्ष निवासी– सुभाष पुरा शिव मंदिर के पिछे, बीकानेर राजस्थान बताया। पुछने पर बरामदा मो0 मे 9024485070 नम्बर की सिम होना बताया। रूबरू गवाहान उक्त व्यक्ति को बरामदा फोन दिखाने पर अपना होना बताया। तस्दीक करने पर मो0 मे उक्त नम्बर की सिम होना पाया। जिसपर रूबरू गवाहन बाद तस्दीक मो0 रेडमी ए–2 कम्पनी को सही हालत मे चैक करवा कर समय 09.15 बजे सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। उक्त यात्री द्वारा रे.सु.ब. का इस ईमानदारी व त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद दिया। बरामद सामान की कुल कीमत 8000/– रूपये बताई गई। फर्द सुपूर्दगी तैयार कर हाजिरान को पढकर सुनाई सभी ने पढ सुन एवं सही होना मानकर अपने अपने अलामात बना रहे है।

4.
दिनांक 05.01.2025 को रेसुब आउट पोस्ट महेन्द्रगढ से उनि रमेश कुमार ने जरिये फोन से सूचना दिया कि सवारी गाड़ी सख्या 22472 के कोच एस–7 सीट नम्बर 56 पर एक मिल्टन की पानी की बोतल रह गई है उक्त सूचना पर रेसुब पोस्ट से ऑन ड्यूटी कांस्टेबल कुलदीप कुमार ने उक्त गाड़ी के उक्त कोच को चैक किया तो एक मिल्टन की पानी की दो लिटर की बोतल लावारिस दिखाई दी आस पास के यात्रीयो से पुछने पर किसी ने अपनी होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है जो पीछे किसी स्टेशन पर उतर गया है बाद उक्त बोतल को रेसुब पोस्ट पर लेकर आये एव सुरक्षित रखा गया । दिनांक 06.03.2025 को निरीक्षक महेन्द्र सिंह हाजिर कार्यालय एक व्यक्ति उपस्थित होकर अपना नाम अभिषेक पुत्र श्री शिव पुजन प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी आई 505 टवर आई एक्सप्रेस पार्क व्यू 02 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर उतर प्रदेश मोबाइल नम्बर 7053772056 एव अपने पहचान के कागजात प्रस्तुत किये बाद पूर्ण तस्दिक होने पर रूबरून गवाहन के समक्ष उक्त बोतल को चैक करवाते हुए सुपुर्द करने पर रेल यात्री ने उक्त बोतल की कीमत 1500/–(एक हजार पांच सौ रूप्ये) होना बताया।

5. दिनांक 07.03.2025 को हैकां० पिथपाल रेसुब. चौकी चूरू को अपनी डयूटी के दौरान चूरू रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की के पास एक मोबाईल फोन (एंड्रॉयड) रियलमी नारजो कंपनी जिसका रंग ब्लेक पड़ा मिला जिसके बारे में यात्रियों से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नही होना बताया, बाद उक्त हैका० मोबाईल को रेसुब. चौकी चूरू पर लेकर आया और कार्यालय में जमा किया। कुछ देर बाद मोवाईल पर आये फोन से उपनिरीक्षक नन्दकिशोर ने बात किया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम पता श्री राजेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं0 36 बाल्मिकी बस्ती चूरू जिला चूरू राज० बताया और गाड़ी सं0 22471 में चूरू से बीकानेर तक की यात्रा कर रहा हूँ बताया। जिसका मोबाईल चूरू रेलवे स्टेशन पर गिर गया है। उक्त यात्री का सगा भाई नाम पता सुनील कुमार पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नं0 36 बाल्मिकी बस्ती चूरू जिला चूरू राज० मो० नं० 8383095933 मन उपनिरीक्षक नन्दकिशोर के समक्ष रेसुब चौकी चूरू पर हाजिर होकर अपना आधार कार्ड व भाई का आधार कार्ड की प्रतिलिपि और भाई की साधारण यात्रा टिकट (चूरू से बीकानेर) तक की प्रतिलिपि पेश किया और मो० सिम नं0 7742904014 की पहचान किया, जिस पर उ०नि० द्वारा पूर्ण तस्दीक कर सुपूर्दगीनामा बनाकर रूबरून गवाहान के समक्ष मोबाईल सुपूर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की तो उक्त व्यक्ति ने उक्त मोबाईल कि कीमत 15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये बताया।

6. दिनांक 09.03.2025 को एक व्यक्ति संदीप चहल पुत्र श्री सज्जन सिंह, उम्र– 36 वर्ष निवासी गांव सोया, जिला हिसार हरियाणा मोबाईल नंबर 7006774082 रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर सउनि राजबीर सिंह के समक्ष हुआ तथा बताया कि दिनांक 08.03.2024 को सवारी गाडी संख्या 15909 में जींद से बंटिडा की यात्रा के दौरान बंटिडा स्टेशन पर उतरने के दौरान उसका सैंमसैंग कम्पनी का मोबाईल फोन गाडी में ही छूट गया था। जिसकी उसके द्वारा 139 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की गई थी। उक्त मोबाईल फोन की शिकायत दिनांक 08.03.2025 को मसुनि कक्ष के माध्यम से प्राप्त होने पर हैड कॉस्टेबल गोपालस्वरूप व नितेश कुमार द्वारा गाडी को चैक करने पर गाडी के कोच संख्या बी–01 में सैमसैंग मोबाईल मिल गया। जिसकी सूचना फोन मालिक को दी गई। फोन मालिक संदीप चहल पता उपरोक्त द्वारा फोन की तस्दीक करने पर सैमसेंग कम्पनी का मोबाईल फोन कीमत 20,000 रूपये को सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।

7. दिनांक 09.03.2025 को प्लेटफार्म डयूटी पर तैनात हैड कॉस्टेबल गोपाल स्वरूप को प्लेटफार्म नंबर 01 पर कुर्सी पर एक मोबाईल फोन मिला। जिसे उक्त हैड कॉस्टेबल रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर लेकर आया। उक्त फोन पर थोडी देर में एक व्यक्ति का फोन आया और बताया कि वह सवारी गाडी संख्या 19719 में लूनकरनसर जा रहा था। जल्दबाजी में चढने के दौरान उसका मोबाईल फोन स्टेशन पर ही कुर्सी पर छूट गया। अभी गाडी जामसर पहुॅची वह उतरकर लालगढ़ वापिस आ रहा है। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति प्रकाश चन्द पुत्र श्री बन्ने चन्द, उम्र– 51 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 04 मास्टर कॉलोनी लूनकरनसर, जिला बीकानेर मोबाईल नंबर 8486509656 रेसुब पोस्ट लालगढ़ पर उपस्थित हुआ। जिसके द्वारा बताया गया कि वह लूनकरनसर जाने के लिए लालगढ़ स्टेशन पर आया बाद गाडी में चढने के दौरान उसका मोबाईल फोन लालगढ़ स्टेशन पर छूट गया। जिसके द्वारा मोबाईल फोन व उसके अन्दर लगी सिम की तस्दीक करने पर सैमसेग कम्पनी 10,000 रूपये फोन मालिक प्रकाश चन्द पता उपरोक्त को सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।

8. दिनांक 09.03.2025 को रोजनामचा डयूटी पर तैनात हैड कांस्टेबल प्रवीन कुमार को मसुनिक बीकानेर ने जरिये फोन सूचना देकर नोट करवाया कि गाडी संख्या 14728 के साधारण श्रेणी के कोच में एक यात्री के जूते रह गऐ हैं जिसके द्वारा रेल मदद मांगी गई है। उक्त सूचना मिलने के पश्चात प्लेटफार्म डयूटी पर तैनात कांस्टेबल विजय सिंह को उक्त सूचना दी गई। रेसुब स्टाफ श्रीगंगानगर द्वारा उक्त गाडी के प्लेटफॉर्म नं. 02 पर आगमन के पश्चात सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर चैकिंग किया तो उक्त गाडी के साधारण डिब्बे में 02 जोडी नये जूते मिले उक्त के अलावा आसपास चैकिंग के दौरान कोई सामान नहीं मिला। बाद मिले उक्त जूतों को रेसुब पोस्ट श्रीगंगानगर पर सुरक्षित रखवाया गया। थोडी देर बाद एक व्यक्ति रेसुब पोस्ट पर आया जिसने बताया कि मैं सादुलपुर से श्रीगंगानगर तक की यात्रा करता हुआ गाडी संख्या 14728 में आया हूं। श्रीगंगानगर उतरते समय जल्दबाजी के कारण से मैं अपने 02 जोडी नए जूतों को गाडी के साधारण कोच में ही भूल गया। बताये जाने पर उक्त व्यक्ति को मिले उक्त जूते दिखाए गए जिसने उन्हें अपना होना स्वीकार किया। पूछने पर अपना नाम

गगनदीप पुत्र श्री भजनलाल उम्र 35 वर्ष निवासी 17 केएसडी, नूरपुरा, तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज) मोबाईल नं. 90570–49033 बताया पूर्ण तस्दीक करने के पष्चात उपरोक्त मिले 02 जोडी नए जूतों को श्री गगनदीप को सुपुर्द कर फोटोग्राफी की गई। यात्री गगनदीप ने अपने उक्त 02 जोडी नए जूतों की अनुमानित कीमत 2500 रूप्ये होना बताया।

9. दिनांक 10.03.2025 को सउनि महेन्द्र सिंह कार्यालय हाजिर के समक्ष एक व्यक्ति संजय कुमार पुत्र श्री राकेश सिंह, उम्र–36 वर्ष, निवासी म. न. 02/76 आरएचबी कॉलोनी हनुमानगढ राजस्थान मोबाईल नंबर 9079208511 उपस्थित हुआ और बताया कि वह दिनांक 09.03.2025 को सवारी गाडी संख्या 12455 में पीएनआर नंबर 2559614273 दिल्ली से बंटिडा तक कोच संख्या ए–1 की सीट नंबर 35 पर यात्रा कर रहा था। बंटिडा स्टेशन पर उतरने के दौरान वह अपना एक खाकी रंग का कार्टून जिसमें नये 12 लंच बॉक्स है सीट के नीचे भूल गया। जिसकी सूचना उसने रेल मदद नंबर 139 पर दी गई। जिनके द्वारा बताया गया कि आपका बॉक्स आरपीएफ पोस्ट लालगढ़ पर उतार लिया गया। जिस पर दिनांक 10.03.2025 को मैं कार्टून लेने हेतु उपस्थित हुआ। कार्टून को संजय कुमार पता उपरोक्त से खुलवाकर देखने पर उसमें 12 नये लंच बॉक्स मिले। जिसकी कीमत उसके द्वारा 3600 रूपये है होना बताया। उक्त यात्री द्वारा कार्टून की पहचान करने पर मोबाईल को मन सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत सही हालत में सुपुर्द कर पावती ली गई।

10. दिनॉक 11.03.2025 को स.उ.नि. ज्योति शर्मा मय प्लेटफॉर्म ड्यूटी स्टाफ कान्स0 सोनू को औचक गस्त के दौरान प्लेटफॉर्म नं. 01 पर एक विवो कम्पनी का मोबाईल फोन लावारिस हालत में पड़ा मिला। मौके पर मौजूद रेल यात्रियों, आने–जाने वालों से मोबाईल बाबत पूछताछ की तो किसी ने भी अपना होना नहीं बताया। रे.सु.ब. पोस्ट, हिसार पर आने के दौरान उक्त मोबाईल फोन पर कॉल आई जिसने अपना परिचय मेघनाथ कुमार पुत्र श्री जट्टा महतो, निवासी– चिंतामणिपुर जिला बैशाली (बिहार) के रूप मे देते हुए बताया कि यह फोन उसका है तथा दिनांक 11.03.2025 को सवारी गाड़ी सं. 12556 गोरखधाम एक्सप्रैस से अपने निवास स्थान जाने के लिए हिसार स्टेशन आना व फोन कहीं गिर जाना बताया। जिस पर उसको बतलाया कि उसका मोबाईल फोन रे.सु.ब. पोस्ट, हिसार पर रखा है, आप लेकर जाओ। जिस पर उसने अपने चचेरे भाई रंजीत कुमार को भेजना बताया।एक व्यक्ति रेसुब पोस्ट हिसार कार्यालय मे उपस्थित हुआ और अपना नाम व पता रंजीत कुमार महतो पुत्र श्री हरेन्द्र महतो, निवासी– चिंतामणिपुर, जिला वैशाली (बिहार) मोबाईल नं. 8464862832 बताकर मेघनाथ कुमार का फोन लेने के लिए आना बताया। जिस पर पेश हुए व्यक्ति को कार्यालय से फोन निकलवाकर मोबाईल फोन दिखाया तो उसके द्वारा फोन की पहचान अपने चचेरे भाई मेघनाथ के रुप में करने पर आधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर पूर्णतया तसदीक कर सही पाए जाने पर सही हालत में रूबरू गवाहान के समक्ष उक्त मोबाईल फोन श्री रंजीत कुमार को चैक करवाकर सही अवस्था में जरिये सुपुर्दगीनामा रुबरु गवाहन के समक्ष सुपुर्द कर फोटोग्राफी की। जिस पर मोबाईल मालिक द्वारा रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया है तथा अपने मोबाईल की वर्तमान कीमत 13000/–रुपये आंकी गई है।

11. दिनांक 11.03.2025 को मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी संख्या 12371 के कोच संख्या बी–4 के सीट नम्बर 41 से 47 तक की सीटो पर एक यात्री का मोबाईल छूट गया है तलाश करावे। उक्त गाडी के रेलवे स्टेशन बीकानेर आगमन पर प्लेटफॉर्म पर तैनात ऑन ड्यूटी हैड कांस्टेबल प्रदीप कुमार द्वारा चैक किया गया तो गाडी के सीट नम्बर 45 पर एक सैमसंग कम्पनी का काले रंग का एण्डरॉयड मोबाईल मिला जिसे बीकानेर पोस्ट पर लाया गया तथा मोबाईल मिलने के बारे मे मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर को सूचना दिया। दिनांक 12.03.2025 को सउनिरी. भगवाना राम नायक हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित हुआ तथा उक्त मोबाईल गाडी में छूटने के सम्बन्ध में रेल मदद करने के बार मे बताया। उक्त व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम बिन्टु कुमार पुत्र श्री जय सिह उम्र–31 वर्ष जाति–जांगिड़, निवासी–गांव हांसियावास, तहसील राजगढ जिला–चूरू (राजस्थान) मोबाईल नम्बर 7891332339 बताया। दिनांक 10.03.2025 को उक्त गाडी से हावड़ा से रवाना होकर बीकानेर तक टिकिट पीएनआर नम्बर 6548934518 आना बताया तथा गाडी से उतरते समय जल्दबाजी मे मेरी पत्नी रोशनी हैला अपना मोबाईल को सीट पर भूलने के बारे मे बताया तथा उसके द्वारा 139 पर रेल मदद करने बारे मे बताया। उक्त व्यक्ति को उक्त मोबाईल को दिखाने पर अपना होना बताया। बाद तस्दीक कर रूबरू गवाहन सैमसंग कम्पनी एफ–68 का काले रंग का एण्डरॉयड मोबाईल को सही हालत मे चैक करवा कर समय 17.50 बजे सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। उक्त

यात्री द्वारा रे.सु.ब. का इस ईमानदारी व त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद दिया। बरामद सामान की कुल कीमत 34000/— रूपये बताई गई।

12. दिनांक 12.03.2025 को मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी संख्या 12490 के आगे की तरफ के सामान्य कोच मे एक यात्रि का काला रंग का लेडिज हैण्ड पर्स छूट गया है तलाश करावे। उक्त गाडी के रेलवे स्टेशन बीकानेर आगमन पर प्लेटफॉर्म पर तैनात ऑन ड्यूटी हैड कांस्टेबल बिजेन्द्र सिंह द्वारा चैक किया गया तो गाडी के सामान्य कोच मे लावारिस लेडिज हैण्ड पर्स मिला जिसको पोस्ट पर लाया गया तथा जरिये मंसुनिक बीकानेर के मालिक को सुचित किया गया। बाद समय करीबन 14.20 बजे खुशबु भार्गव पुत्री श्री सुरेन्द्र भार्गव पता एफसीआई गोदाम के पिछे बंगला नगर बीकानेर थाना हाजा उपस्थित हुई व बताया कि उसकी रिश्तेदार गुडडी C/O विनोद कुमार निवासी— कवराडा, जालौर राज0 गाडी सं 12490 से बीकानेर तक आई थी जिसका हैण्डपर्स गलती से गाडी मे छूट गया था पर्स मे 02 चांदी की अगुँठी, दवाईया व लेडिज मेकअप का सामान होना बताया तथा बैग सुपूर्द करने का निवेदन किया। बाद रूबरू गवाहान बरामदा बैग को खोलकर चैक करने पर उक्त सामान सही सलामत होना पाया। बाद रेलमदद शिकायत कर्ता किशनजोशी से मोबाईल नम्बर 9785851521 पर बात करने पर उपस्थित खुशबु भार्गव को उक्त बरामदा बैग सुपूर्द करने को कहॉ। बाद तस्दीक कर रूबरू गवाहन उक्त बैग को हाजिर थाना खुशबु भार्गव पता उपरोक्त को जरिये सुपूर्दगीनामा करवा कर पावती लिया गया। उक्त यात्री द्वारा रे.सु.ब. का इस ईमानदारी व त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद दिया। बरामद सामान की कुल कीमत 1500/— रूपये बताई गई।

13. दिनांक 03.03.2025 को ऑन ड्यूटी स्टाफ को प्लेटफार्म नम्बर एक पर एक लावारिस बैग जिसका रंग आसमानी रंग का दिखाई दिया जिसके बारे में आस पास के यात्रियो से पुछने पर किसी ने अपना होना नही बताया इसी दौरान यात्रियो के समक्ष बैग को चैक किया गया तो उक्त बैग में एक आईडी मिली जिस पर एक नम्बर लिखा हुआ मिला तो उक्त नम्बर पर फोन किया तो सामने से संजय कुमार बोलना बताया एव बताया कि सामान ज्यादा होने के कारण स्वंय का बैग रेलवे स्टेशन पर रह गया बाद में अपना नाम एव पता संजय कुमार पुत्र श्री रामकरण उम्र 25 वर्ष निवासी गांव बरहालू थाना लोहारू जिला भिवानी मोबाईल नम्बर 9728641636 एव बताया कि बैग के अन्दर पहनने के कपड़े एव कुछ कांगजात है जिसको स्वयं आकर प्राप्त करना बताया दिनांक 15.03.2025 को रेसुब पोस्ट सादुलपुर की आउट पोस्ट लोहारू पर उनि पूनम सैनी हाजिर कार्यालय के समक्ष एक व्यक्ति आया और अपने कांगजात प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त बैग के बारे में बताया जिसको रूबरून गवाहन के समक्ष चैक करवाया तो पुराने कपड़े, वाटर बोतल, एक प्लास्टिक का कंटेनर एव आसमानी रंग का बैग जिनकी कुल किमत 1000(एक हजार रूपये) को सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त कि तो उक्त व्यक्ति ने रेसुब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।

14. दिनांक 15.03.25 को का० रमेश कुमार रेसुब. चौकी चूरू को अपनी डयुटी के दौरान रेसुब पोस्ट सादुलपुर से सूचना प्राप्त हुआ कि सवारी गाड़ी सं0 14702 के सामान्य कोच में एक यात्री जिसका नाम मानवीर पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 32 वर्ष जाति जाट निवासी गांव चिड़ावा त० सूरजगढ़ जि० झुंझूनू (राज०) मो० नं0 7014705308 का एक ट्रोली बैग छूट गया है उक्त यात्री अहमदाबाद—सीकर तक यात्रारत था की सूचना पर उक्त कां० ने सवारी गाड़ी उपरोक्त के चूरू रेलवे स्टेशन आगमन पर सामान्य कोच ईंजन साईड को चेक किया तो सफेद—नीले रंग का एक ट्रोली बैग उपर की सीट पर दिखाई दिया जिसके बारे में यात्रीयो से पुछने पर किसी ने अपना होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है जो पिछे किसी स्टेशन पर उतर गया है। बाद उक्त बैग को उतार कर रेसुब चौकी चूरू कार्यालय में जमा किया को दिनाँक 16.03.25 को उक्त यात्री रेसुब कार्यालय हाजिर होकर उप निरीक्षक नन्द किशोर को अपना नाम पता उपरोक्त बताते हुए गाड़ी उक्त की साधारण टिकट व आधार कार्ड की छाया प्रति पेश किया जिससे पूर्ण तस्दिक होने पर रूबरून गवाहन के समक्ष चैक करवाया तो ट्रोली बैग में कागजातों की मूल प्रतियां व पहनने के नये पुराने कपड़े जिसकी अनुमानित किमत लगभग 10000/— रूपये होना बताया। जिसको को सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त करने पर यात्री ने रेसुब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।

15. दिनांक 18.03.2025 को सउनि सुनिल कुमार को रेसुब पोस्ट हिसार से कॉ0 ओमपाल से सूचना मिलने पर कि गाडी स0—12555 गोरखधाम एक्सप्रेस के एस—2 कोच की सीट स0—16 पर एक यात्री का बैग छुट गया है। सउनि ने प्लेटफार्म डयूटी स्टाफ महिला कॉस्टेबल रीतू सैनी को साथ लेकर उक्त गाडी को अटैण्ड कर चैक किया तो उपरोक्त सीट

पर एक बैग मिला जिस बाबत पूछने पर उक्त कोच मे किसी भी यात्री ने अपना होना नही बताया जिसको उतार कर पोस्ट पर लाये बाद एक व्यक्ति जितेन्द्र तिवारी पुत्र श्री धुरन तिवारी, उम्र 29 वर्ष निवासी गांव ठकरहा जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया, बिहार ने पोस्ट पर पेश होकर बताया कि उक्त गाडी से हिसार में उतरते समय अपना बैग सीट पर भूल गये थे, जिसमें मेरा आधार कार्ड 1500रू नकद व इस्तेमाली कपडे है। बाद सउनि सुनिल कुमार ने रूबरू गवाहन व पेश हुए उक्त व्यक्ति के सामने गाडी स0 – 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस के एस–2 कोच की सीट स0–16 पर मिला बैग खोल कर चैक किया तो बैग में एक जितेन्द्र तिवारी पता उपरोक्त नाम आधार कार्ड, 1500 रू नकद व इस्तेमाली कपडे मिले। जिसको सउनि ने रूबरूगवाहन जरिये सुपुर्दगीनाम उक्त बैग मय उपरोक्त सामान ऑपरेशन अमानत के तहत जितेन्द्र तिवारी पता उपरोक्त को सही सुपुर्द किया। सामान की अनुमानित किमत लगभग 7500 रू0 आंकी गई। यात्री ने इसके लिए आरपीएफ का धन्यवाद किया।

16. दिनांक 19.03.2025 को प्लेटफॉर्म डयूटी पर तैनात कांस्टेबल रामलखन को गाडी संख्या 14728 के प्लटफॅर्म नं. 03 पर ऑन अराईवल चैकिंग के दौरान साधारण श्रेणी के डिब्बे 154318 में एक प्लास्टिक की बडी थैली मिली जिसमें 25 जोडी नए कपडे थे। आसपास यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी अपना होना नहीं बताया। बाद थैली पर लिखे मोबाईल नं. 9680249371 पर फोन करने पर पता चला कि यह सामान एक यात्री जिनका नाम कपिल देव पुत्र श्री बनवारी लाल उम्र 35 वष निवासी वार्ड नं 05, मन्दरपुरा, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज बताते हुए बताया कि उक्त सामान मेरा है जिसमें 25 जोडी नए कपडे है। मैं राजगढ से नोहर तक गाडी संख्या 14728 में साधारण टिकट नं. 68824370 पर यात्रा कर रहा था और नोहर स्टेशन पर उतर गया और मेरा सामान गाडी में ही भूलवंश रह गया। मेरा उक्त सामान मेरे परिचित श्री सूर्य प्रकाश पुत्र श्री अंजनी कुमार उम्र 36 वर्ष, निवासी मन्दरपुरा, हनुमानगढ (राज) मोबाईल नं. 9799302941 आकर ले जाऐंगे। मैने उन्हें रेसुब थाना श्रीगांनगर आने बाबत बता दिया है। बाद उप निरीक्षक डूंगर सिंह कार्यालय हाजिर के समक्ष एक व्यक्ति जिसने अपना नाम सूर्य प्रकाश पुत्र श्री अंजनी कुमार बताया उपस्थित हुआ और उक्त सामान ले जाने बाबत बताया। बाद जरिये मोबाईल श्री कपिल देव से उक्त सामान की सुपुर्दगी श्री सूर्य प्रकाश को देन बाबत पूछा तो श्री कपिल देव ने उक्त सामान को सूर्य प्रकाश को देने बाबत अपनी सहमति जाहिर की श्री कपिल देव ने उक्त 25 जोडी नए कपडों की अनुमानित कीमत 12500 रूपये होना बताया। पूर्ण तस्दीक करने के उपरान्त उक्त सामान को श्री सूर्य प्रकाश को सुपुर्दगी दी गई व पावती प्राप्त की गई। सहयोग/सहायता के लिए रेसुब श्रीगंगानगर का आभार व्यक्त किया।

17. दिनांक 19.03.2025 को रेलवे स्टेशन बीकानेर पर प्लैटफार्म ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल प्रेमनारायण को गाड़ी संख्या 14718 के आगमन के समय दौराने चैकिंग गाडी के कोच संख्या एस–1 में सीट संख्या 62 पर एक आईक्यू कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसके बारे आसपास पता किया लेकिन किसी ने अपना नही होना बताया बाद में मोबाईल को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बीकानेर पर लेकर आया। कुछ समय बाद उक्त फोन पर एक कॉल आया तथा बताया कि वह उक्त गाडी से हरिद्वार से रतनगढ तक यात्रा के दौराने सुबह रतनगढ उतरते समय जल्दबाजी अपना मोबाईल भूल गई तथा अपना नाम सवेता गोयल पुत्री श्री महेन्द्र कुमार, उम्र–23 निवासी–करणीनगर सी–368 लालगढ बीकानेर राजस्थान बताया। यात्री उक्त ने अपने दोस्त को फोन के लिए भेज रही है। समय करीबन 18.00 बजे एक महिला सउनि प्रवीन कुमार हाजिर थाना के समक्ष उपस्थित हुई तथा उक्त मोबाईल अपने दोस्त होना बताया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम विमलेश यादव पुत्री श्री बुदी राम यादव उम्र–26 वर्ष निवासी– रामपुरा बस्ती गली नम्बर 01 लालगढ, बीकानेर राजस्थान बताया। बाद रूबरू गवाहान उक्त महिला को बरामदा फोन दिखाने पर अपने महिला दोस्त का होना बताया। उक्त मोबाईल को रूबरू गवाहन बाद तस्दीक आईक्यू कम्पनी का मोबाईल को सही हालत मे चैक करवा कर समय 18.30 बजे सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। उक्त यात्री द्वारा रे.सु.ब. का इस ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। बरामद सामान की कुल कीमत 37000/– रूपये बताई गई।

18. दिनांक 19.03.2025 को प्लेटफॉर्म डयूटी पर तैनात हैड कांस्टेबल प्रवीन कुमार को गाडी संख्या 22981 के प्लटफॅर्म नं. 01 पर ऑन अराईवल चैकिंग के दौरान कोच संख्या बी–4 डब्लयूसी 211205 में सीट नं. 33 के नीचे हरे रंग का एक ट्रोली बैग लावारिस हालत में मिला। उक्त कोच में कोई भी यात्री नहीं था। बाद कोच अटैण्डैण्ट श्री संजय पुत्र श्री रामकिशन मोबाईल नं. 8005657935 से उक्त ट्रोली बैग बाबत पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त कैबिन में आर्मी के जवान यात्रा कर रहे थे। जो सूरतगढ उतर गए थे। बाद उक्त बैग को लेकर पोस्ट

श्रीगंगानगर पर आया। अधिकारियों को अवगत करवाया गया। हैड कांस्टेबल प्रवीन कुमार द्वारा उक्त बैग के सम्बन्ध में गाडी के ऑन डयूटी टीटीई से सम्पर्क कर एक आर्मी जवान का मोबाईल नं. 9528459937 प्राप्त कर सम्बन्धित नम्बर पर सम्पर्क किया सामने से मोबाईल फोन रिसीव करने वाले ने अपना नाम दीपक कुमार अग्निवीर 85 आर्मड, 06 आई, सूरतगढ में कार्यरत बताया। जिसने बताया कि मैं सामान ज्यादा होने के कारण अपना बैग उक्त कोच में सीट के नीचे छूटना बताया। बताया कि बैग में मेरी वर्दी, जूते व पीटी किट है। आज दिनांक 20.03.25 को एक आर्मी जवाना जीतेन्द्र मलिक पुत्र श्री राजपाल सिंह मोबाईल नं. 6006635219 कार्यालय हाजिर हुए तथा उक्त यूनिट में कार्यरत होना बताया जिसको दीपक के कहने पर उनका हरे रंग का ट्रोली बैग चैक करवाकर सुपुर्द किया जा रहा है। दीपक ने अपने उक्त समान मय ट्रोली बैग की कीमत लभगभ 15000 रूपये होना बताया समय पर सहयोग/सहायता के लिए रेसुब श्रीगंगानगर का आभार व्यक्त किया।

19. दिनांक 22.03.2025 को एक व्यक्ति हाजिर कार्यालय हुआ ने अपना नाम भाशकर राव पुत्र श्री सुर्यनारायण उम्र 31 निवासी–16 रेपिड सिगनल आर्मी सुरतगढ बताया और बताया कि दिनांक 20.03.25 को सवारी गाडी सख्या 19224 कोच नं. बी–2 सीट नम्वर 16 पर बठिण्डा से सुरतगढ की यात्रा कर रहा था। सुरतगढ मे उतरते समय सीट पर मेरी एक थैली जिसमे तीन जोडी नये बच्चे कपडे थे गाडी मे भुल गया। जिसकी सुचना मैने 139 पर दी तो थोडे समय के बाद मेरे पास उक्त गाडी में मौजूद टी टी श्री भंवरलाल चौधरी फोन आया ओर बताया की आपका सामान मिल गया है। जिसने मेरे बच्चे के कपडो को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट लालगढ में जमा किया है, जिसे दिनांक 22.03.2025 को लेने आया हूँ। बाद हैड राजेश कुमार तीन जोडी नये बच्चे के कपडो की पहचान करवाकर श्री भाशकर राव पुत्र श्री सुर्यनारायण उम्र 31 पता उपरोक्त सामान को रुबरु गवाहन के शिनाख्त होने पर उक्त यात्री को सही हालात में जरिये सुपुदर्गीनामा समय 16:00 बजे रुबरु गवाहन के सुपुर्द किया गया। यात्री ने तीन जोडी कपडों की कुल किमत लगभग 5000 रूपये बताई गई। जिसकी पावती प्राप्त की। जिनके द्वारा आरपीएफ का धन्यवाद दिया गया।

20. दिनांक 23.03.25 को है.का0 गुरमीत सिंह बुट्टर को दौराने ड्यूटी रेसुब कन्ट्रोल बीकानेर से सूचना मिली कि सवारी गाड़ी सं. 12455 के कोच संख्या बी–01, सीट नं. 41 पर यात्रा कर रहे एक यात्री नाम विष्णु मोदी पुत्र श्री ओम प्रकाश मोदी निवासी 179 A अशोक नगर वार्ड न0 40 श्रीगंगानगर पीएनआर न0 2131958038, दिल्ली सराय रोहीला से श्रीगंगानगर तक यात्रा कर रहा था। वह यात्री श्रीगंगानगर में उतर गया है। जिन्होंने शिकायत की है कि एक थैली जिसमे रोयल जैली फरेश 03 डिब्बे_जो गाड़ी में भूलवश रह गई है। सूचना पाकर उक्त हैड कॉस्टेबल ने उक्त गाड़ी के सूरतगढ आवगमन पर उक्त थैली को TTE श्री श्याम लाल से प्राप्त किया व चौकी कार्यालय लेकर आया तथा है.कॉस्टे. ने उक्त यात्री को सूचित किया कि आपकी थैली मिल गई है तो यात्री ने बताया कि थैली को आपके पास चौकी में रखो, मैं सूरतगढ़ मे अपने स्टाफ को उक्त थैली को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूँ। समय करीब 18 बजे एक व्यक्ति नाम प्रवण कुमार शर्मा आधार कार्ड नं. 624158216685, दिनांक 23.03.25 को चौकी कार्यालय आया व अपना आधार कार्ड दिखाकर अपना परिचय दिया। तथा उक्त सामान का बिल पेश किया तथा ऑन लाईन विष्णु जी की टिकिट की फोटो प्रति पेश की तथा विष्णु जी का आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की तथा स्वमं श्री विष्णु जी के साथ अनंता मेडिकैयर लिमिटेड श्री गंगानगर मे काम करना व उक्त गाडी में जनरल कोच मे साथ ही यात्रा करना बताया जिसे थैली दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इसमें एक–एक किलो के तीन प्लास्टिक के रोयल जैली फरेश के डिब्बे है, जिसकी कीमत 37760/– रुपये बताई तथा पैश किये बिल में भी इतनी ही किमत अनंता मेडिकैयर लिमिटेड श्री गंगानगर के नाम लिखा पाया। जिसे खोलकर चैक किया सही पाया, चैक कर उसने कहा कि सामान सही सलामत है। उक्त सामान को जिस हालत में पाया था उसी हालत में है0कॉ0 ताराचन्द ने उक्त यात्री के बताये अनुसार प्रवण कुमार शर्मा को सुपुर्द किया। तथा उक्त सामान की बिल की व प्रवण कुमार शर्मा की आईडी की व विष्णु जी की आईडी की व टिकिट की फोटो प्रति वास्ते रिकॉड ली। जिन्होंने रेसुब का आभार जताया व स्टाफ को धन्यवाद दिया।

21. दिनांक 23.03.2025 को मण्डल सुरक्षा नियत्रण कक्ष बीकानेर से सुचना प्राप्त हुई कि सवारी गाड़ी सख्या 22421 के स्लीपर कोच नम्बर एस–5 की सीट नम्बर 32 पर दिल्ली कैन्ट से लोहारू तक कि एक महिला यात्रा कर रही थी जिसका एक पिठू बैग उक्त गाड़ी में रह गया जिसके अन्दर पहनने के कपड़े, एक चदर एव दवाईया है जो उक्त गाड़ी की उक्त सीट पर रह गया है उक्त सूचना पर रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर तैनात हैड कांस्टेबल सरजीत सिंह को दिये जाने पर हैड कांस्टेबल ने उक्त गाड़ी के आगमन पर उक्त कोच की उक्त सीट को चैक किया

तो एक बैग लावारिस हालत में पड़ा मिला जिसके बारे में यात्रियो से पुछने पर किसी ने अपनी होना नही बताया एव बताया कि किसी यात्री का रह गया है बाद उक्त बैग को रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर लेकर आये दिनांक 24.03.2025 को सउनि रामकिशोर हाजिर कार्यालय के समक्ष एक महिला जिसका नाम व पता अजुं वर्मा पति श्री प्रदीप कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी हाउस नम्बर 09ए, एस/ए, फ्लैट न सी–4, ख न 600, ए1 ब्लॉक बिरला फार्म छतरपुर विस्तार दक्षिण दिल्ली मोबाईल नम्बर 9818317412 ने अपने पहचान के कागजात एव उक्त गाड़ी की टिकट पेश करते हुए उपरोक्त घटना के बारे में बताया पूर्ण तस्दिक होने पर उपरोक्त सामान को रूबरून गवाहन के समक्ष चैक करवाया गया तो सही होना बताया एव उक्त सामान की किमत लगभग 1000(एक हजार रूप्ये) बताया जिसको सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की तो यात्री ने रेसुब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया।

22. दिनांक 24.03.2025 को कन्ट्रोल बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी संख्या 14620 त्रिपुरा सुन्दरी एक्स0 में एक यात्री नाम संजीत रिशिदेव पुत्र श्री बिन्देश्वरी रिशिदेव मोबाईल नं. 8409691340 जिसे सिरसा से सहरसा तक की यात्रा करनी थी, सिरसा से चढते समय जल्दबाजी में अपना एक पीले रंग का कट्टा प्लेटफार्म न0– 01 पर ही भूल गया है जिसमें कुछ बर्तन एवं बिस्तर हैं। उक्त सूचना पर सउनि राजूलाल मीना हमराह ऑन डयूटी स्टाफ म0 कांस्टेबल रितु शर्मा/रेसुब/सिरसा द्वारा प्लेटफार्म न0– 01 को चैक करने पर उक्त बताए अनुसार एक पीले रंग का कट्टा जिसमें कुछ बर्तन एवं बिस्तर थे, प्लेटफार्म न0–01 पर मिला। उक्त पास प्लेटफार्म बैठे यात्रियों से उक्त कट्टे के बारे में पूछने पर किसी ने अपना होना नहीं बताया। यात्री के मोबाईल नम्बर 8409691340 पर सम्पर्क कर कट्टे से संबंधित तफतीश करने पर उसी का होना पाया गया जिसकी अनुमानित कीमत 4000/–रू0 बताई। बाद दिनांक 25.03.2025 को यात्री संजीत रिशिदेव पुत्र श्री बिन्देश्वरी रिशिदेव का रिश्तेदार नाम वजीर चन्द पुत्र श्री खजान चन्द उम्र 50 वर्ष निवासी गांव अहमदपुर, जिला सिरसा मो0न0– 9813367085 कार्यालय आया , जिसके बताए अनुसार उक्त सामान का मिलान करने पर सही होना पाए जाने पर जिस हालत में मिला था उसी हालत में कट्टे के मालिक से बात करने के पश्चात उक्त सामान को उनि मनोहर लाल व ऑन डयूटी स्टाफ कांस्टेबल सुनील कुमार रेसुब/सिरसा द्वारा सुपूर्द किया गया। जिससे यात्री नाम संजीत रिशिदेव पुत्र श्री बिन्देश्वरी रिशिदेव ने रे.सु.ब का बहुत आभार जताया।

23. दिनांक 25.03.2025 को रेलवे स्टेशन सादुलपुर पर रात्री पारी में ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल संजय कुमार को प्लेटफॉर्म नम्बर 01 की बैच पर समय 04.30 बजे एक रेडमी का मोबाईल पड़ा हुआ नजर आया, आस पास के यात्रियो से पुछने पर किसी ने अपना होना नही बताया बाद उद्घोषणा कक्ष से अलाउस मैन्ट करवाया गया कोई भी यात्री/व्यक्ति नही आया जिसको रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर लेकर आये और रात्री ड्यूटी डीओ सउनि रविन्द्र सिंह को देकर पोस्ट पर जमा करवाया बाद समय 10.15 बजे एक व्यक्ति रेसुब पोस्ट पर हाजिर कार्यालय सउनि रामकिशोर के समक्ष पेश होकर अपना नाम व पता मनोज कुमार पुत्र श्री लालराम उम्र 34 वर्ष निवासी ए/3 सुर्य मन्दिर के पिछे विवेक विहार कॉलोनी पायलेट नगर दौसा राजस्थान मोबाईल नम्बर 6375577362 ने अपनी पहचान के कागजात प्रस्तुत करते हुए बताया कि रात्री के समय जोधपुर वाली गाड़ी में जाना था स्वंय बैच पर लेटा तो मोबाईल पोकेट से निकल कर गिर गया था एव नीद आ गई जिस कारण से जोधपुर जाने वाली गाड़ी निकल गई, एव बाहर जाकर चाय नास्ता करने लगा तब पता चला कि मोबाईल कही पर गिर गया है तो में पुछताछ कार्यालय में पहुचकर पुछताछ किया तो बताया कि रेसुब पोस्ट सादुलपुर कार्यालय में एक फोन जमा है। बाद कांगजातो की पूर्ण तस्दिक कर एव मोबाईल को अनलोक करवाकर देखा तो पूर्ण तस्दिक होने के बाद रूबरून गवाहन के समक्ष उक्त मोबाईल को सुपुर्द करते हुए फोटोग्राफी कर पावती प्राप्त की तो उक्त यात्री ने रेसुब को उक्त फोन की किमत 15000(पन्द्रह हजार रूप्ये) होना बताते हुए रेसुब को तहदिल से शुक्रिया अदा किया।

24. दिनांक 24.03.2025 को उपनिरीक्षक नन्द किशोर रेसुब आउट पोस्ट चुरू को जरिये फोन रेसुब पोस्ट सादुलपुर से मैसेज मिला कि गाड़ी सं0 74861 (जयपुर– चूरू डीएमयु) के इंजन से दो कोच पिछे के साधरण कोच में सीट के नीचे एक यात्री का सामान भूलवश छूट गया और यात्री गोरिया स्टेशन पर उतर गया है, जिसने रेल मदद पर सहायता मांगा है पर का० सुमन्त कुमार से उक्त गाड़ी के चूरू आगमन पर चेक कराया तो बताये अनुसार कोच में सीट के नीचे एक काले रंग का बैग मिला जिसके बारे में यात्रियो से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नही होना बताया, बाद उक्त बैग को खोलकर चेक किया तो उसमें दो मोबाईल चार्जर और पहनने के इस्तेमाली नये व पुराने कपड़े मिले जिसे रेसुब. चौकी चूरू पर रखवाया गया और इसकी सूचना यात्री के मोबाईल नं०

9257338603पर देकर आरपीएफ चौकी चूरू में आपका सामान सुरक्षित रखा है दिनांक 25.03.2025 को समय 12.10 बजे एक व्यक्ति ने उपनिरीक्षक नन्द किशोर हाजिर कार्यालय के समक्ष आकर अपना नाम पता श्री आर्यन मीणा पुत्र श्री सुमेर सिंह मीणा उम्र 17 वर्ष निवासी रेवासा जिला सीकर राज० मोबाईल नं0 9257338603 बताया और उक्त गाड़ी में जयपुर से गोरिया स्टेशन तक की यात्रा कर उतर जाना बताया। उ०नि० को उक्त यात्री द्वारा आधार कार्ड की प्रतिलिपी पेश करने पर मेरे द्वारा रूबरू गवाहान उक्त बैग पूर्ण तस्दीक बाद सुपूर्द कर पावती प्राप्त किया गया। सामान की कीमत यात्री के बताये अनुसार करीबन 3000/– (तीन हजार) रूपये आंकी गई तथा उक्त यात्री द्वारा इस सराहनीय कार्य बाबत रेसुब को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

25. दिनांक 23.03.2025 को का० रमेश कुमार रेसुब. चौकी चूरू को अपनी डयूटी के दौरान समय करीबन 09.40 बजे प्लेटफॉर्म नं० 1 पर सवारी गाडी सं0 19027 के आगमन पर गाड़ी उक्त को चेक करने के लिए प्लेटफार्म के देपालसर साईड गार्ड के पास गया तो उसको सामान्य कोच के पास एक पासपोर्ट नं0 2451500 गिरा मिला जिसको उक्त कॉ० ने रेसुब चौकी चूरू कार्यालय में जमा कराया तथा पासपोर्ट धारक का नाम अनिल कुमार पुत्र श्री

सतवीर उम्र 23 वर्ष जाति जाट निवासीः उदनसर त० फतेहपुर जिला सीकर (राज०) लिखा हुआ था के नाम से ग्रामिणों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज शेयर कर सूचित करने पर दि० 26.03.25 को उक्त व्यक्ति रेसुब चौकी कार्यालय चूरू आया तथा उनि० नन्द किशोर हाजिर कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना आधार कार्ड पेश किया तथा अपना नाम पता उपरोक्त मो० नं0 7737118414 बताया। आगे बताया कि वह सुरत से चूरू तक उक्त गाड़ी के सामान्य कोच में जो गार्ड की तरफ था में यात्रारत था और चूरू स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने पर गाड़ी से उतरना बताया और उतरते समय प्लेटफार्म पर उसके बैग की आगे की पॉकेट में उसका पासपोर्ट रखा होना बताया जो बैग के पॉकेट की चेन खुली होने के कारण उतरते समय पासपोर्ट गिरना बताया, पासपोर्ट के अलावा उसका अन्य कोई सामान नहीं गिरना बताया। उप निरीक्षक द्वारा पूर्णतया तस्दीक करने बाद रूबरू गवाहान के पासपोर्ट नं0 2451500 (मूल्यवान दस्तावेज) जिसकी बनवाने की कीमत लगभग 3100/– (तीन हजार एक सौ रूपये) सही हालत में उक्त व्यक्ति को सुपुर्द किया तथा पावती प्राप्त की गई। उक्त पासपोर्ट (मूल्यवान दस्तावेज) को प्राप्त कर उक्त व्यक्ति ने रेसुव के इस सराहनीय कार्य बाबत धन्यवाद ज्ञापित किया।

26. दिनांक 27.03.2025 को सउनि राजबीर सिंह कार्यालय हाजिर के समक्ष एक व्यक्ति जयवर्धन सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह उम्र–18 वर्ष निवासी गांव स्वरूपसर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान मोबाईल नंबर 6377878751 उपस्थित हुआ और बताया कि वह दिनांक 27.03.2025 को सवारी गाडी संख्या 12455 में टिकट नंबर ADB 69697380 जैतसर से लालगढ तक सामान्य कोच में यात्रा कर आया था तथा लालगढ स्टेशन पर उतरने के बाद वह अपना एक लाल रंग का

बैग जिसमें 06 जोडी नये कपडे., कॉस्मेटिक आईटम व एक जुते की जोडी थी टैक्सी में भूल गया। जिस पर सउनि ने सीसीटीवी फुटेज चैक कर ऑटो रिक्शा वाले से सम्पर्क कर बैग कार्यालय में मंगवाया। बैग मालिक को जयवर्धन सिंह पता उपरोक्त से खुलवाकर देखने पर उसमें 06 जोडी नये कपडे., कॉस्मेटिक आईटम व 01 जोडी जुते मिले। जिसकी कीमत उसके द्वारा 9000 रूपये होना बताया। उक्त यात्री को बैग सामान सहित सहायक उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने रूबरू गवाह के समक्ष ''ऑपरेशन अमानत'' के तहत पूर्ण सामान के साथ में सुपुर्द कर पावती ली गई।

27. दिनांक 27.03.2025 को मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी संख्या 12490 के एक यात्रि मोबाईल नम्बर 9079280484 का बी–7 कोच के सीट नम्बर 01 के उपर हरे रंग की कपडे की थैली छूट गई है जिसमे उसके पहनने के कपडे है उक्त सूचना पर गाडी उक्त के बीकानेर स्टेशन आगमन पर हैका नंदलाल के द्वारा अटैण्ड कर चैक किया तो उक्त थैली लावारिस हालत मे बरामद हुई। रेलमदद कर्ता रजनीश परिहार पुत्र

श्री जय शम्भु निवासी सी 146 देवी रोड कमला नेहरू नगर जोधपुर राजस्थान को उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर सुचित किया गया तथा बरामदा थैली व सामान से अवगत कराया गया तो स्वंम की होना बताया व अपने जानकार गौरव चौहान को सामान रेसुब पोस्ट से प्राप्त करने आने के बारे बताया। गोरव चौहान पुत्र श्री रामेश्वर लाल चौहान निवासी एफसीआई गोदाम के पास इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर थाना हाजा उपस्थित हुआ व बताया कि उसका जानकार रजनीश परिहार पता उपरोक्त की कपडे की थैली गलती से गाडी मे छूट गई थी। जिस बाबत 139 पर रेलमदद दर्ज करवाई गई थी। थैली मे एक जोडी कपडे होना बताया तथा बैग सुपूर्द करने का निवेदन किया। बाद रूबरू गवाहान बरामदा थैली को खोलकर चैक करने पर उक्त सामान सही सलामत होना पाया। बाद तस्दीक कर रूबरू गवाहन उक्त बैग को हाजिर थाना गौरव चौहान पुत्र रामेश्वर

लाल चौहान पता उपरोक्त को जरिये सुपूर्दगीनामा सही हालत सुपुर्द कर पावती लिया गया। बरामद सामान की कुल कीमत 3000/— रूपये बताई गई।

28. दिनांक 29.03.2025 को सवारी गाड़ी सं 14117 कालिंदी एक्स. के जनरल कौच में एक महिला का बैग छुट गया था जिसपर ऑन ड्यूटी लोको पायलेट श्री सुनिल कुमार मुख्यालय भिवानी द्वारा उक्त गाडी के भिवानी स्टेशन आगमन पर बैग को रेसुब पोस्ट पर सुपुर्द किया गया जिस पर दिनांक 29.03.2025 को एक महिला नाम पता सचना पत्नी श्री संजीव उम्र—25 वर्ष निवासी—बेलरखा जिला जिंद हरि0 मो 7015674132 रेसुब पोस्ट भिवानी पर उपस्थित हुई। वह दिनांक 29.03.2025 सवारी गाड़ी सं. 14117 के के जनरल कोच में रोहतक से खरक तक की यात्रा कर रही थी। रेलवे स्टेशन खरक कॅला पर उतरते समय सामान ज्यादा होना कारण वह उसके बैग को गाडी में भूल गयी उसका सामान मिलने की सूचना पर वह दिनांक को रेसुब पोस्ट भिवानी पर उपस्थित हुयी है, जिस पर ऑन डयूटी सउनि. सुरेन्द्र कुमार द्वारा उपरोक्त बरामद बैग व व्यक्ति की तस्दीक की गई यात्री द्वारा बतायेनुसार सामान को चैक करवाने पर उसमें एक बिजली का चुल्हा, बर्तन, पुराने इस्तेमाली कपडे सही सलामत होना पाया गया व तस्दीक कर उक्त बैग बारंग काला लाईनदार को सही सलामत चैक करवाकर सुपूर्द कर पावती ली गई, उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त सामान की कुल कीमत 6000/—रूपये बताई गई।

29. दिनॉक 27.03.2025 को कन्ट्रोल बीकानेर से सूचना मिली कि सवारी गाड़ी सं. 14716 (जयपुर—हिसार एक्सप्रैस) के कोच एस—1 में सीट नं. 25 पर किसी यात्री का कार्टुन छूट गया है और यात्री अलवर स्टेशन उतर गया है। उक्त सूचना मिलने के समय गाडी वाशिंग लाईन हिसार में जा चुकी थी सुचना ऑन ड्यूटी स्टॉफ हैड कान्स. जगतपाल ने उक्त गाड़ी को वाशिंग लाईन हिसार पर अटैण्ड कर चैक किया तो बतायेनुसार कोच में कार्टुन (आरओ के स्पेयर पार्टस) मिला। उक्त हैड कान्स. द्वारा रे.सु.ब. थाना हिसार पर कार्टुन जमा किया और सूचना कन्ट्रोल बीकानेर को नोट करवाई गई। दिनांक 30.03.2025 को उप निरीक्षक सोनिया देवी हाजिर कार्यालय के समक्ष श्री दीपक यादव, निवासी— वार्ड न. 14 पीतमपुरा,सोखर,जिला अलवर (राज.) उपस्थित हुआ तथा बताया कि दिनांक 27.03.2025 को उसका भाई श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दयाराम निवासी— सुन्दरावली जिला अवलर (राज.) मोबाईल नं. 9928471562 सवारी गाड़ी सं. 14716 में जयपुर से अलवर तक यात्रा कर रहा था और वह अलवर रेलवे स्टेशन पर उतर गया और कार्टुन ट्रेन में छूट गया था, जिसके सम्बन्ध में उसने रेलमदद की थी। जिस पर उ.नि. सोनिया देवी ने कार्यालय से कार्टुन निकलवाकर पेश हुए व्यक्ति को दिखाया तो उसने यात्री उपेन्द्र सिंह का होना बताया। पेश हुए व्यक्ति की आधार कार्ड की प्रति तथा यात्री उपेन्द्र सिंह की यात्रा टिकट तथा आधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर नाम—पता तसदीक एवं पूर्ण जांच पड़ताल उपरान्त रूबरू गवाहान के समक्ष उक्त कार्टुन को जरिये सुपुर्दगीनामा श्री दीपक को सुपुर्द कर फोटोग्राफी की। कार्टुन (आरओ के स्पेयर पार्टस) की अनुमानित कीमत 5000/— रुपये आंकी गई है।

30. दिनांक 02—03—2025 को स्टेशन अधीक्षक महेंद्रगढ़ द्वारा सूचना दी गई की सवारी गाड़ी संख्या 22421 सुपरफास्ट दिल्ली सराय रोला जोधपुर में एक यात्री बेहोशी की हालत में है सूचना पर तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई जीआरपी के साथ मिलकर बेहोश यात्री को सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ में उपचार हेतु पहुंचाया गया बाद उसके मोबाइल से उसके बड़े भाई भागीरथ से संपर्क किया गया जो सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ पहुंचा जिसने अपने छोटे भाई का नाम अंशु पुत्र श्री टेकचंद उम्र 25 वर्ष निवासी गांव कुलोट जिला झुंझुनू राजस्थान होना बताया उपचार के बाद अंशु होश में आ गया था से भी पूछताछ करने पर बताया कि मैं रेवाड़ी में कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं तथा रेवाड़ी से अपने गांव ट्रेन में जा रहा था तो मेरे को मिर्गी का दौरा आ गया जिससे मैं बेहोश हो गया यह बीमारी मेरी जन्मजात से ही है जिसका उपचार सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में चल रहा है अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं मेरे भाई के साथ घर जाना चाहता हूं ट्रेन में मेरे साथ अन्य कोई घटना नहीं घटी आप सहाब द्वारा मेरे को एंबुलेंस द्वारा सिविल हॉस्पिटल उपचार हेतु एडमिट करने व इलाज करवाने का आरपीएफ का ते दिल से हम दोनों भाई धन्यवाद करते हैं।

31. दिनांक 11.03.25 को गाडी संख्या 16312 के श्रीगंगानगर प्लेटफॉर्म नं. 03 के आगमन के दौरान प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात हैड कां. प्रवीन कुमार को समय 02.00 बजे एक महिला यात्री अपराजिता सोढा मिली जिसने बताया कि मेरे पति सुमेर सिंह के पैर का ऑपरेषन हुआ है जो चलने में असमर्थ है। प्लेटफॉर्म नं. 03 से प्लेटफॉर्म 01 पर जाने में असमर्थता जाहिर की जिस पर स्टाफ द्वारा तत्काल प्रभाव से कर्तव्य को अंजाम देते हुए स्वयं व्हील चेयर लेकर आया और उसे स्वयं ही चलाकर यात्री को सुरक्षित सर्कुलेटिंग एरिया श्रीगंगानगर

में छोडा और ऑटो में भी सकुषल बिठाया। यात्री ने पीएनआर 4528058315 की टिकट पर स्लीपर कोच नं. 05 में सीट नम्बर 54 व 56 पर जोधपुर से श्रीगंानगर तक की यात्रा करना बताया महिला यात्री और उसके द्वारा किए गए उक्त कार्य की सराहना करते हुए प्रषंसा और आभार व्यक्त किया।

32. दिनांक 11.03.2025 को टी.ओ.पी.बी. टीम प्रभारी सउनि रामकिशन धवन मय टीम, प्लेटफॉर्म ड्यूटी स्टाफ है0का0 रामवतार मीणा तथा थाना प्रभारी जीआरपी हिसार राधेश्याम मय स्टाफ को दौराने चैकिंग हिसार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म न0 04, 05 पर ओवर ब्रिज के नीचे एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा लावारिश व संदिग्ध हालत मे पड़ा हुआ नजर आने पर आस–पास बैठे यात्रियों से पूछे जाने पर किसी ने भी अपना होना नहीं बताया जिस पर कट्टे को खोलकर देखा तो पोलिथिन में डोडा चूरा पोस्त जैसी वस्तु नजर आयी जिसको जीआरपी थाना हिसार ले जाकर चैक किया तो डोडा चूरा पोस्त होने की पुष्टि होने पर वजन किए जाने पर कुल 16. 820 कि.ग्रा. होना पाया जिसकी अनुमानित कीमत 70000/–रू आंकी गयी तथा इस सम्बन्ध मे जीआरपी हिसार द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर नं. 0031/2025 अन्तर्गत धारा 15 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांक 11.03.2025 दर्ज की गयी है। मामले की जांच थाना प्रभारी जीआरपी हिसार उप निरी0 राधेश्याम द्वारा की जा रही है।

33. दिनांक 03-03-25 को उप निरीक्षक अजय लाम्बा मय सहायक उप निरीक्षक यसवंत सिंह व हैड कानि. रारेपु मोतीलाल न. 55 ऑन ड्यूटि राजकीय रेलवे पुलिस सूरतगढ़ रात्री प्लेटफॉर्म गस्त व ट्रेन चेकिंग दौरान गाड़ी संख्या 15909 अवध आसाम एक्स के सूरतगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 01 पर ऑन अराइवल ट्रेन को चेक कर थे तो टीओपीबी टीम इंचार्ज श्रीनिवास मय स्टाफ व दो संदिग्ध व्यक्तियों के साथ मिले बाद उक्त दोनों व्यक्तियों के बारे में एएसआई श्रीनिवास ने बताया की ये दोनों व्यक्ति उक्त ट्रेन मे संदिग्ध अवस्था मे घूम रहे थे जिनसे पूछताछ की तो कुछ नही बता रहे है। जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होने ने अपना नाम क्रमश (01.) संदीप पुत्र श्री भजन सिंह उम्र 22 साल जाति राय सीख निवासी आरसीपी ताल कॉलोनी वार्ड नं.26 सूरतगढ़ (02) धर्मपाल पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 30 वर्ष जाती झिवर निवासी वार्ड नंबर 20 पीलीबंगा थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पता बताया बाद उक्त शख्सों द्वारा उक्त कृत कार्य करने पर रारेपु चौकी सूरतगढ़ द्वारा इस्तगासा नं0 09/2025 बीएनएसएस की धारा 126 (1), 170 (1), दिनांक 03.03.2025 सरकार बनाम संदीप पुत्र श्री भजन सिंह व धर्मपाल पुत्र श्री रामजीलाल पता उपरोक्त दर्ज किया गया है।

34. दिनांक 07.03.2025 को रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम सउनि श्रीनिवास कां० अनिल कुमार, कां० पवन कुमार व प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात हैड कां ताराचन्द द्वारा सुरतगढ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 01 पर गाडी सख्या 54759 के आगमन के समय उतरने व चढ़ने वाले यात्रियों की भीड मे 03 संदिग्ध व्यक्तियो को अपनी पहचान छुपाते हुये यात्रियो के बैग व जेब टटोलते हुये को पकड़ा नाम पता पूछने पर सूरज कुमार पुत्र श्री अनिल मांझी, उम्र–21वर्ष निवासी वार्ड नंबर 25, पुलिस थाना सुरतगढ सिटी जिला श्रीगंगनगर, मनप्रीतसिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह, उम्र 21, निवासी वार्डन 31 पुलिस थाना सुरतगढ सिटी जिला श्रीगंगानगर, रवि सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नं 34 राजकीय रेलवे पुलिस चौकी सूरतगढ को सुपुर्द किया तथा रा०रे०पु० सूरतगढ द्वारा इस्तगासा नं0 10/2025 बीएनएसएस की धारा 126 (1), 170 (1), दिनांक 07.03.2025 को उक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया।

35. दिनांक 29.03.2025 को रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम सउनि श्रीनिवास कां० अनिल कुमार, कां० पवन कुमार व CIB TEAM बीकानेर द्वारा हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 01 पर गस्त के दौरान गाड़ी संख्या 14887 के आगमन पर 01 बाहरी व्यक्ति किसी यात्री का मोबाइल चोरी कर भागते हुए का0 TOPB व CIB TEAM BKN ने चोरी किए हुए मोबाइल के साथ पकड़ा उससे गहनता से पूछताछ करने पर अपना नाम–पता राहुल कुमार पुत्र श्री राजकुमार उम्र 24 वर्ष जाति सेन निवासी B–712 डीडीए फ्लैट्स द्वारका सेक्टर नंबर 23 B राजनगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली हाल वार्ड नंबर 17 मनजीत भारती के किराए के मकान कंग कॉलोनी हनुमानगढ़ पुलिस थाना हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान होना बताया उक्त मोबाइल के बारे में पूछने पर पहले आनाकानी की बाद सख्ताई से पूछने पर मोबाइल गाड़ी संख्या 14887 से चोरी करना बताया बाद उक्त व्यक्ति व मोबाइल को अग्रिम कानूनी कारवाई वास्ते GRP थाना हनुमानगढ के सपुर्द किया जिसको GRP ने अपने कब्जा में लिया मोबाइल का मालिक नही मिलने पर उक्त व्यक्तियों के खिलाफ GRP थाना हनुमानगढ द्वारा

बीएनएसएस के तहत कार्यवाही करते हुये इस्तगासा नं0 12/2025 बीएनएसएस की धारा 126 (1), 170 (1), दिनांक 29.03.2025 सरकार बनाम राहुल कुमार पुत्र श्री राजकुमार उम्र 24 वर्ष जाति सेन पता उपरोक्त दर्ज किया। उक्त मोबाइल रियलमी कंपनी का कीमत लगभग 30000 आंकी गई।उक्त घटना टीओपीबी की परिधि मे दर्ज नही होने के कारण आरएसएमएस में अपडेट नही किया गया है।

36. दिनांक 26.03.2025 को रेसुब यात्री विषयक अपराध रोकथाम टीम सउनि श्रीनिवास कां० अनिल कुमार, कां० पवन कुमार कां० मांगेराम द्वारा हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 2 पर गस्त के दौरान गाड़ी संख्या 04706 पर 02 बाहरी व्यक्ति किसी यात्री का बैग साधारण कोच से चोरी कर भागने लगा उसी समय TOPB टीम ने दोनों व्यक्तियों को चोरी के पिट्ठू बेग के साथ मौके पर पकड़ा उससे गहनता से पूछताछ करने पर अपना नाम–पता सीताराम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र–32, वर्ष जाति सोरगर व विनोद कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री किरसन जाति सोरगर निवासी वार्ड नंबर 42,सोरगर मोहल्ला भारत माता चोक के पास हनुमानगढ टाऊन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान होना बताया उक्त बेग के बारे में पूछने पर पहले आनाकानी की बाद सख्ताई से पूछने पर बेग गाड़ी संख्या 04706 से चोरी करना बताया बाद उक्त व्यक्तियों व बैग को अग्रिम कानूनी कारवाई वास्ते GRP थाना हनुमानगढ के सपुर्द किया बैग की तलाशी स्टाफ की उपस्थिति में ली गई जिसमें पहनने के नऐ कपड़े व मोबाइल चार्जर होना पाया जिसको GRP ने अपने कब्जा में लिया बैग का मालिक नही मिलने पर उक्त व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासा नं0 11/2025 बीएनएसएस की धारा 126 (1), 170 (1), दिनांक 26.03.2025 सरकार बनाम सीताराम पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र–32, वर्ष व विनोद कुमार उम्र 32 पुत्र श्री किरसन पता उपरोक्त दर्ज किया।

4. **आई.एस.एस. एवं सी.सी.टी.वी के माध्यम से पकड़े गये अपराधिक मामले एवं किये गये सराहनीय कार्यः**–उक्त अवधि के दौरान आई.एस.एस. व सी.सी.टी.वी के माध्यम से रेल अधिनियम के तहत 04 मामले रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत बीकानेर पोस्ट द्वारा दर्ज किये गये है रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधिनियम का कोई भी प्रकरण को ट्रेस आउट नही किया गया।

5. रेल सम्पति (अवैध कब्जा) अधिनियम :–

मामलें		कीमत		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			
पंजीकृत मामलें	पकडे गये	चोरी की गई सम्पति	बरामद सम्पति	बाहरी	रेल कर्मचारी	रिसीवर	रेसुब
02	02	6500	6500	04	00	00	00

6. रेल अधिनियम के तहत पकड़े गये मामले :–

दर्ज केसों की संख्या	कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना राशि (रू)	टी.आर.सी. / जैल
287	277	80530/-	-

7. तम्बाकु अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही :–

पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना (रू)
62	12400/-

8. वाणिज्य विभाग को सहायताः–

अभियान की संख्या	नामित रेसुब स्टाफ की संख्या	बिना टिकट / मास्क पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना (रू)
371	406	1687	504670/-

9. अतिक्रमणः–कोई नहीं।
10. एलपीओः– कोई नहीं।